न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला–बून्दी

पीठासीन अधिकारी :–श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 43/2023 ता0 रजू 31.03.2023

उनवान

1. सत्यप्रकाश आ0 गोरधन जाति मीणा निवासी डेलपुरा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–वादी–

बनाम

1. किशनलाल आ0 रामेश्वर जाति मीणा निवासी रानीपुरा तहसील हिण्डोली।
2. चौथमल आ0 रामेश्वर जाति मीणा निवासी रानीपुरा तहसील हिण्डोली।
3. मांगीलाल आ0 रामेश्वर जाति मीणा निवासी रानीपुरा तहसील हिण्डोली।
4. मनभर पुत्री रामेश्वर जाति मीणा निवासी रानीपुरा तहसील हिण्डोली।
5. रामचन्द्री पुत्री रामेश्वर जाति मीणा निवासी रानीपुरा तहसील हिण्डोली।
6. नरमा पुत्री मोहन जाति मीणा निवासी आना की झौपडिया ग्राम पंचायत टोडा का गोठडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. सीमा पुत्री मोहन जाति मीणा निवासी आना की झौपडिया ग्राम पंचायत टोडा का गोठडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

श्री चन्द्रप्रकाश जैन अधि0 वादी

श्री शम्भूदयाल शर्मा अधि0 प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7

आदेश

दिनांकः–02.01.2025

वाद वादी का मुख्य रूप से कथन है कि वादी कृषि भूमि खाता संख्या 645 खसरा संख्या 235/1659 रकबा 0.8498 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.8498 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम रानीपुरा पटवार मण्डल रानीपुरा में विस्थित है, जिसमें वादी सत्यप्रकाश का हिस्सा 4/21 निहित है, मुताबिक हिस्सा वादी सत्यप्रकाश काबिज काश्त है। भूमि खाता संख्या 314 खसरा संख्या 1386 रकबा 0.5342 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.5342 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम रानीपुरा पटवार मण्डल रानीपुरा में विस्थित है, जिसमें वादी सत्यप्रकाश का हिस्सा 7/45 निहित है, मुताबिक हिस्सा वादी सत्यप्रकाश काबिज काश्त है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी की भूमि है, तथा खातेदार अंजना की मृत्यु हो गई है, अंजना के वारिसान नरमा व सीमा को प्रतिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

संख्या 6 व 7 बनाया गया है। वाद की चरण संख्या 1 व 2 में अंकित भूमियॉ वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त पेत्रिक भूमियॉ है, जिनमे प्रत्येक खातेदार हिस्से के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं, तथा काश्त की सुविधा के हिसाब से मौके पर पारिवारिक रूप से बंटवारा किया हुआ है, हिस्से के बाबत खातेदार के बीच कोई विवाद भी नही है। इसलिए वादी को अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाकर पृथक खाता कायम करवाने का अधिकार प्राप्त है। इस कारण वादी अपने हिस्से की भूमि बंटवारा करवाकर खाता पृथक कायम करवाना चाहता है। भविष्य से सीमा व हिस्से के सम्बन्ध में तथा लगान अदायगी तथा अपने अपन हिस्से की भूमियों के विकास करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो, इसलिए वादी भूमियों का बंटवारा करवाना चाहता है। वादी काफी अरसे से प्रतिवादीगण से आपसी सहमति से बंटवारा करवाने का आग्रह कर रहे हैं, परन्तु प्रतिवादीगण वादी के आग्रह पर कोई ध्यान नहीं दे रहे है। अभी दिनांक 15.03.2023 को वादी ने प्रतिवादीगण से पुनः आग्रह किया तो प्रतिवादी ने मना कर दिया तथा कहा कि हम तो बंटवारा नहीं करवायेगे, तुम तुम्हारे हिसाब से बंटवारा करवा लो, यही वाद का कारण है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वाद की चरण संख्या 1 व 2 में दर्ज भूमिया का हिस्से के अनुसार बंटवारा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग खाते कायम करवाये तथा राजस्व नक्शे में भी तरमीम करवाये। वादग्रस्त भूमियॉ वाके ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद कारण माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में दिनांक 15.03.2023 को अन्तिम बार उत्पन्न होने से वाद अन्दर अवधि निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि वाके ग्राम रानीपुरा पटवार मण्डल रानीपुरा का हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाकर अलग–अलग खाते कायम किये जाये तथा राजस्व नक्शे में तरमीम किये जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वादी को प्रदान की जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। तथा प्रतिवादीगण नं. 01 ल0 07 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी द्वारा भूमि दिनांक 07.11.2022 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है। विवादित भूमियॉ पैतृक भूमियॉ नहीं है। वादी द्वारा क्रय किए गए खसरा संख्या की भूमि में क्रय किए गए हिस्से के अनुसार दोनों खसरा नम्बरान के खेतों में हिस्से अनुसार बंटवारा करवाकर दोनों खेतों में अपना हिस्सा अलग करवाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वादी खसरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

संख्या 1386 व 235/1659 की खरीद की गई भूमि एक ही खसरा नम्बर में लेना चाहता है ऐसी स्थिति में वादी को दोनों खेतों की भूमि एक जगह पर लेने का कोई अधिकार नहीं है। अलग–अलग खसरा नम्बरों में से खरीद की हुई भूमि को दोनों खसरा नम्बरों में से वादी के हिस्से व बंटवारे में रखी जावे व सभी सह खातेदारों के हिस्से व बंटवारे में सडक के सहारे की बेस कीमती भूमि रखी जाकर बंटवारा किया जावे। प्रतिवादीगण का जबाव प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की गई। वकील प्रतिवादीगण कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 645 व 314 सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम रानीपुरा पटवार मण्डल रानीपुरा तहसील हिण्डोली पेश किये एवं वादी का शपथपत्र प्रस्तुत कर बयान गवाह/जिरह प्रतिवादी दर्ज करवाई गई

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र/प्रतिवाद पत्र के अनुसार रही। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादी–प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांकः– 25.11.2024 का प्राथमिक डिक्री किया जाकर नायब तहसीलदार दबलाना को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा निर्देशानुसार पत्रांकः–862/राजस्व/2024 दिनांक 09.12.2024 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तागण की सुनी गई। पक्षकारान के अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान अधिवक्तागण मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (राज.)

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः वाद वादी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि ग्राम रानीपुरा की निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :—

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	सत्यप्रकाश मीणा पुत्र गोरधन मीणा जाति मीणा सा0 डेलपुरा तहसील नैंनवा खातेदार	235/1659/1	0.2428
	योग	किता— 1	0.2428
2.	अंजना पुत्री रामेश्वर हिस्सा 7/204, किशनलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 49/204, चौथमल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 49/204, मनभर पुत्री रामेश्वर हिस्सा 49/204, मांगीलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/204,रामचन्द्री पुत्री रामेश्वर हिस्सा 49/204 जाति मीणा सा0 देह खातेदार	235/1659/2	0.6070
	योग	किता—1	0.6070
3.	अंजना पुत्री रामेश्वर हिस्सा 5/152, किशनलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 35/152, चौथमल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 35/152, मनभर पुत्री रामेश्वर हिस्सा 35/152, मांगीलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 7/152, रामफूली पुत्री रामेश्वर हिस्सा 35/152 जाति मीणा सा0 देह खातेदार	1386	
	योग	किता—1	0.5342

नक्शे में सत्यप्रकाश की आराजी को लाल रंग से व प्रतिवादीगण की आराजी को नीले रंग से दर्शाया है। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना—अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 02.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/01/2025

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)